वार्षिक रिपोर्ट
2016—17

15

अध्याय

सतर्कता

सतर्कता

कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 9 सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हेंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार विचार किया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु औचक जांच–पड़ताल, नियमित जांच–पड़ताल, गुणवत्ता जांच–पड़ताल, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसे पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीसी) का प्रयोग करते हुए कार्यवाही की जाती है।

संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख श्री विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों तथा एनएलसीआईएल के सतर्कता स्कन्धों के प्रमुख प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए एक स्वतंत्र पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। संगठन के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी का मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

सतर्कता जागरूकता आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31.10.2016 से 05.11.2016 तक मनाया गया जिसमें सत्यनिष्ठता संवर्धन और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्रालय और सभी सहायक कंपनियों में भी कार्यशालाएं, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों, आईटी पहलकदमियां के कार्यान्वयन आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इस अवधि के दौरान हुई बैठकें निम्नलिखित हैं:

क्र.स.	तारीख	स्थान	द्वारा समीक्षा की गई
1.	11.05.2016	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
2.	19.08.2016	कोलकाता	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
3.	06.10.2016	कोलकाता	सीवीसी के साथ वार्षिक क्षेत्रीय बैठक

पद्धति में सुधार

सभी संगठनों ने सक्रिय रूप से आईपीआर को ऑन–लाइन भेजने, संवेदनशील पदों से गैर–संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के बारी–बारी से स्थानांतरण आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा, ऑन–लाइन सतर्कता स्थिति की पद्धति को विकसित किया गया है जो जांचाधीन है। सभी संगठनों ने 'सम्मत सूची' और संदिग्ध सत्यनिष्ठता वाले अधिकारी (ओडीआई) की सूची पूरी कर ली है।

आईटी पहलकदमियां

चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने और उत्पादन, प्रेषण, भण्डारों आदि का वास्तविक डाटा अभिग्रहण करने एवं प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली की कल्पना की गई है जिसमें जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम है जो व्यापक एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से तुलनसेतुओं, सामग्री भंडारों, प्रवेश/निकास स्थलों, स्टाकयार्ड, साईडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों को जोड़ता है और सीआईएल की सभी कंपनियों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मद का नाम	आवश्यकता	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन स्थिति
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली	8683	8683
2.	सीसीटीवी द्वारा इलैक्ट्रानिक निगरानी	3808	3808
3.	आरएफआईडी आधारित वूम बेरियर्स एंड रीडर्स	624	482
4.	तौलसेतु की स्थिति	878	878
5.	व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग	1209	778
6.	कोलनेट के कार्यान्वयन की स्थिति	50	44

कोयला कंपनियों ने कई ई–पहलकदमियां अर्थात कोलनेट, ईएमडी को लौटाना, आरएफआईडी सहित इन–मोशन तौलसेतुओं को लगाना, ई–खरीद, सीसीटीवी सहित इलैक्ट्रानिक निगरानी, ऑनलाईन ट्रक प्रेषण प्रणाली आदि शुरू की है।

औचक निरीक्षण तथा मामलों की गहन जांच की गई थी जिसमें प्रणाली में सुधार लाने के उपायों पर बल दिया गया।

अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना

इस अवधि के दौरान, सीबीआई द्वारा कोयला ब्लॉकों के आबंटन के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु 11 मामलों का उल्लेख किया गया है जिनकी मंत्रालय में जांच की गई थी और अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु टिप्पणियां प्रशासनिक मंत्रालय डीओपी एंड टी को भेजी गई थी।